

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 30.04.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 23/06 धारा 323/504/506 भादिव0 से सम्बन्धित अभियुक्त रामबाबू पुत्र मैकू हरिजन उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम भंवरपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 156/06 धारा 504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अरूण पुत्र प्रेमदास उम्र 44 वर्ष निवासी पंजाब नेशनल बैंक के सामने कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 38/26 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित पुत्र बलवान निवासी ग्राम जिगनीपुरवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 169/26 धारा 61(2)/103(2)/238 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शाहनवाज उर्फ जे के उर्फ मुन्ना पुत्र स्वर्गीय सुलेमान खान उम्र 21 वर्ष व 2. सरताज पुत्र मुस्ताक अहमद उम्र 20 वर्ष निवासीगण वार्ड नंबर 11 कबीर नगर कस्बा व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त हेमन्त शुक्ला पुत्र स्व0 अनुज कुमार शुक्ला निवासी ग्राम दुआरी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-102/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकुर गुप्ता पुत्र श्री गोरेलाल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम उमरन चौराहा थाना रनियां जनपद कानपुर देहात स्थायी पता सैथा लोहारी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 45 अदद क्वाटर ट्विन टावर ब्रांड देशी अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 103/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।